न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
सत्र परीक्षण संख्या– 288/2022
स्टेट––––––बनाम–––––––––––आशीष सरोज एवं अन्य

आरोप

मैं राजेश कुमार राय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर

एतद्द्वारा आपलोगः– 1. आशीष सरोज पुत्र भारत लाल सरोज
2. अरविन्द सरोज पुत्र भारत लाल सरोज
3. राज कुमार सरोज पुत्र राजपति सरोज
4. पारसनाथ पुत्र स्व0 पूर्णमासी सरोज

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूंः–

प्रथमः– यह कि दिनांक–03.12.2021 को समय करीब 7.00 बजे शाम, वहद स्थान ग्राम–सजईकला खुर्द, थाना–पवारा, जिला–जौनपुर में आपलोगों ने अन्य अभियुक्तगण नान्हकचन्द्र, सुनील, तीरथ सरोज एवं भारतलाल के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर वादी मुकदमा लालजी सरोज के लड़के विकास सरोज को लाठी–डण्डा व राड से मारपीट कर हिंसा कर ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने अन्य अभियुक्तगण नान्हकचन्द्र, सुनील, तीरथ सरोज एवं भारतलाल के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी डण्डा व राड से लैस होकर वादी मुकदमा लालजी सरोज के लड़के विकास सरोज को लाठी डण्डा व राड से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण चोटे पहुंचाकर ऐसा अपराध कारित किया जो भा0 द0 सं0 की धारा 323 सपठित धारा 149 के अंतर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने अन्य अभियुक्तगण नान्हकचन्द्र, सुनील, तीरथ सरोज एवं भारतलाल के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी डण्डा व राड से लैस होकर वादी मुकदमा लालजी सरोज के लड़के विकास सरोज को लाठी–डण्डा व राड से इस आशय अथवा ज्ञान एवं इन परिस्थितियों में मारकर प्राण घातक चोटे पहुंचायी, जिसके परिणामस्वरूप ईलाज के दौरान उन्हीं चोटों के कारण विकास सरोज की दिनांक–08.12.2021 को समय 5.00 बजे सुबह ट्रामा सेन्टर बी0 एच0 यू0 वाराणसी में मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 सपठित धारा 149 के अंतर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने अन्य अभियुक्तगण नान्हकचन्द्र, सुनील, तीरथ सरोज एवं भारतलाल के साथ मिलकर लोकशांति भंग कराने के आशय से वादी मुकदमा लालजी सरोज के लड़के विकास सरोज एवं अन्य को भद्दी–2 गाली गुप्ता देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 504 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने अन्य अभियुक्तगण नान्हकचन्द्र, सुनील, तीरथ सरोज एवं भारतलाल के साथ मिलकर वादी मुकदमा लालजी सरोज एवं अन्य को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित कर ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपलोगों को निर्देश देता हूं कि आपलोगों का परीक्षण उक्त धाराओं के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(राजेश कुमार राय)
दिनांकः 14.02.2023 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(राजेश कुमार राय)
दिनांकः 14.02.2023 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।

न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
सत्र परीक्षण संख्या– 288/2022
राज्य––––––बनाम––––––––आशीष सरोज एवं अन्य
मु0अ0सं0– **127/2021**
धारा–**147, 323, 304, 504, 506 आई0पी0सी0**
थाना–पवारॉ, जिला जौनपुर।

<u>आदेश</u>

<u>14.02.2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण आशीष सरोज, पारसनाथ, अरविन्द सरोज एवं राज कुमार सरोज मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा राज्य की ओर से विद्वान ए0 डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) उपस्थित है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना केस बताते हुये उन प्रस्तावित साक्ष्यों का वर्णन किया जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया जाना है।

मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से अभियुक्तगण आशीष सरोज, पारसनाथ, अरविन्द सरोज एवं राज कुमार सरोज के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा **147, 323/149, 304/149, 504, 506** भा0 द0 सं0 करना पाया जाता है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण आशीष सरोज, पारसनाथ, अरविन्द सरोज व राजकुमार सरोज के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाया गया। जिससे उन्होंने इनकार किया और परीक्षण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–05.05.2023 को पेश हो। सूची से गवाहान तलब किये जाय।

(राजेश कुमार राय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।